राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प 7 (4)परि/नियम/मु./II/92/8290 जयपुर, दिनांकः– 14.05.2015

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 28, 38, 65 और 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती है। उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित प्रारूप नियम, उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं और उन्हें इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, उस तारीख से जिसको राजपत्र में यथा–प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करायी जाती हैं, पन्द्रह दिवस की कालावधि के अवसान के पश्चात्, विचार किया जायेगा।

किसी भी ऐसे आक्षेप या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से ऊपर यथा विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पूर्व प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा। ऐसे आक्षेप और सुझाव परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन विभाग, सहकार मार्ग, जयपुर को सम्बोधित किये जाने चाहिए।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान (द्वितीय प्रारूप संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 2.29 का संशोधन.**– राजस्थान मोटर यान नियम, 1990, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2.29 की विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"सारणी

क्र. सं.	प्रयोजन	रकम (रूपयों में)	नियम
1	2	3	4
1.	नियम 2.5 के अधीन अपील के बारे में	500/–	2.6
2.	चिकित्सक द्वारा प्रभावित किए जाने वाले चिकित्सा प्रमाण –पत्र के बारे में	15/–	2.7
3.	प्ररूप 7 में अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के बारे में	200/–	2.9, 2.10, 2.13 और 13.1
4.	ड्राईवर के बैज या बैज की दूसरी प्रति के बारे में	300/–	2.26, 13.1

"

3. **नियम 3.17 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 3.17 की विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"सारणी

क्र. सं.	प्रयोजन	रकम (रूपयों मे)	नियम
1	2	3	4
1.	नियम 3.8 के अधीन अपील के संबंध में	500/–	3.8
2.	कण्डक्टर की अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के बारे में	300/–	3.11, 3.12, 3.13 और 13.2
3.	कण्डक्टर के बैज और बैज की दूसरी प्रति के के बारे में	300/–	3.15 और 13.2
4.	कण्डक्टर की अनुज्ञप्ति के प्रतिहस्ताक्षर के बारे में	200/–	3.16

"

4. **नियम 4.28 का संशोधन.**–उक्त नियमों के नियम 4.28 से संलग्न विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखति प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"सारणी

क्र. सं.	प्रयोजन	रकम (रूपयों में)	नियम
1	2	3	4
1.	प्रत्येक मास के लिए अस्थाई रजिस्ट्रीकरण के लिए (क) परिवहन यान के लिए (ख) गैर–परिवहन यान के लिए	 500/– 200/–	4.2
2.	सभी प्रकार के यानों के लिये ठीक हालत में होने के प्रमाण–पत्र की मंजूरी या नवीकरण से इन्कार करने के मामले में पश्चात्वर्ती निरीक्षण के लिये	100/–	4.24
3.	ठीक हालत में होने के प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति के लिये	100/–	4.25

"

5. **नियम 5.87 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 5.87 की विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"सारणी

क्र. सं.	प्रयोजन	रकम (रूपयों में)	नियम
1	2	3	4
1.	परमिट (अस्थाई परमिट से भिन्न) की मंजूरी/नवीकरण/ प्रतिहस्ताक्षर के आवेदन के लिये (i) दो सीट वाले ऑटो रिक्शा (ii) शैक्षिक संस्था बस/मिनीबस/टैम्पों/विक्रम/ऑटो तांगा (iii) मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी (क) अन्तर्राज्यीय परमिट के लिए (ख) अन्तर्राज्यीय परमिट से भिन्न (iv) मोटर–कैब/मैक्सी कैब/पब्लिक कैरियर या प्राइवेट कैरियर	 100/– 250/– 1500/– 750/– 300/–	5.5, 5.27 और 5.28
2.	परमिट (अस्थाई परमिट से भिन्न) की मंजूरी और नवीकरण के लिये (i) मिनी बस को छोड़कर मंजिली गाड़ी, पब्लिक कैरियर, प्राइवेट कैरियर, ठेका गाड़ी (ii) शैक्षिक संस्था बस/मिनी बस/मोटर कैब/ मैक्सी कैब, (iii) ऑटो तांगा/ऑटोरिक्शा/विक्रम/टैम्पों	 1500/– 1000/– 300/–	5.9 5.27 और 5.28
3.	30 दिन या उसके भाग के लिये अस्थाई परमिट या	200/–	5.5

29

	प्रतिहस्ताक्षर की मंजूरी के लिये		
4.	गैर अस्थाई परमिट के प्रतिहस्ताक्षर या उसके नवीकरण के लिये (i) भारी परिवहन यानों के लिये (ii) मध्यम परिवहन यानों के लिये (iii) हल्के परिवहन यानों के लिये	 1500/- 1000/- 500/-	5.28
5.	विरासत या उत्तराधिकारी द्वारा अन्यथा परमिट के अन्तरण के लिये फीस (i) मंजिली गाड़ी (ii) मोटर कैब, मैक्सी कैब, टैम्पों, विक्रम और ऑटो रिक्शा से भिन्न पब्लिक कैरियर और ठेका गाड़ी, (iii) ठेका गाड़ी (मिनी बस, टैम्पो, विक्रम, मोटर-कैब और मैक्सी कैब) (iv) ऑटो रिक्शा और ऑटो तांगा	 3000/- 1500/- 1000/- 500/-	5.36
6.	(i) रा.प.अ.प्रा. में रा.प्र.प्रा. के आदेश के विरूद्ध अपील के लिये फीस (ii) प्रा.प.प्रा. के आदेश के विरूद्ध अपील के लिये फीस (iii) रा.प.प्रा./प्रा.प्र.प्रा. के आदेश के पुनरीक्षण के लिये फीस	500/- 500/- 500/-	5.44
7.	परमिट की दूसरी प्रति के लिये फीस (I) भाग क-प्रत्येक प्रति (क) मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी (i) विकृत/विरूपित के लिए (ii) खो जाने/चोरी हो जाने की दशा में (ख) मोटर कैब/मैक्सी कैब/टैम्पों/विक्रम/मिनी बस/ऑटो रिक्शा/ऑटो तांगा/पब्लिक कैरियर या प्राइवेट कैरियर (II) भाग ख-प्रत्येक प्रति (क) मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी (i) विकृत/विरूपित के लिये (ii) खो जाने/चोरी हो जाने की दशा में (ख) मोटर कैब/मैक्सी कैब/ऑटो रिक्शा/मिनीबस/टैम्पों/विक्रम/ऑटो-तांगा/ पब्लिक कैरियर या प्राइवेट कैरियर (III) अस्थाई परमिट-प्रत्येक प्रति (IV) प्राधिकार पत्र प्रत्येक प्रति	 200/- 1000/- 200/- 200/- 1000/- 200/- 200/- 200/-	5.38

27

8.	अभिकर्त्ता की अनुज्ञप्तिः– (i) आवेदन फीस (ii) अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये प्रत्येक अतिरिक्त संस्थापन की अनुपूरक अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये (iii) यदि आवेदन समय के भीतर कर दिया गया है तो अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये (क) मूल अनुज्ञप्ति (ख) प्रत्येक अनुपूरक अनुज्ञप्ति के लिये (iv) यदि आवेदन विलम्ब से किया गया है तो अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये (क) मूल अनुज्ञप्ति (ख) प्रत्येक अनुपूरक अनुज्ञप्ति के लिये (v) दूसरी प्रति जारी करने के लिये (क) मूल अनुज्ञप्ति (ख) प्रत्येक अनुपूरक अनुज्ञप्ति के लिए (vi) अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील के लिये	 5000/– 1000/– 1000/– प्रत्येक 1000/– 1000/– 1500/– 1500/– 1000/– 1000/– 500/–	5.73 (3) और 5.77 5.78 5.78 5.84 5.85
9.	परमिट के रद्दकरण के लिये आवेदन फीस (i) दुपहिया/ऑटो रिक्शा के लिए (ii) मिनी बस/टैम्पो/विक्रम/ऑटो तांगा के लिये (iii) मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी के लिये (क) अन्तर्राज्यिक परमिट के लिये (ख) अन्तर्राज्यिक से भिन्न परमिट के लिये (iv) मोटर कैब/मैक्सी कैब/पब्लिक कैरियर/प्राइवेट कैरियर	 100/– 250/– 1000/– 500/– 300/–	5.35 (3)
10	किसी मंजिली गाड़ी की पहले से जारी समय सारणी में प्रत्येक संशोधन के लिये आवेदन फीस यदि परमिट–धारक द्वारा आवेदन किया जाये।	1000/–	5.39

"

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ. मनीषा अरोडा)
संयुक्त शासन सचिव (मु.)

क्रमांकः प 7 (4)परि/नियम/मु./II/92/8291-8304 जयपुर, दिनांकः– 14.05.2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 14.05.2015 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
7. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. विधि (संहिताकरण) विभाग, जयपुर।
9. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
10. अपर परिवहन आयुक्त, ...(समस्त) जोन।
11. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी........................समस्त।
12. श्री संजय सिंघल, ए.सी.पी. को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
13. समस्त प्रभारी अधिकारी कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Government of Rajasthan
Transport Department

No. F 7(4)/Pari/Rules/H.Q./II/92 /8290 Jaipur, Dated: 14/5/2015

Notification

In exercise of the powers conferred by section 28, 38, 65 and 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government proposes to make the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990. The following draft rules are hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given to them that the said draft would be taken in to consideration after the expiry of a period of fifteen days from the date on which the copies of this notification as published in the official Gazette are made available to the public.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period as specified above shall be considered by the State Government. Such objections and suggestions should be addressed to the Transport Commissioner and Secretary to the Government, Transport Department, Sahkar Marg Jaipur.

Draft Rules

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles (II Draft Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 2.29.- The existing table of rule 2.29 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, here in after referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"TABLE

S.No.	Purpose	Amount (in Rs.)	Rule
1	2	3	4
1.	In respect of appeal under rule 2.5	500/-	2.6
2.	In respect of medical certificate to be charged by the doctor	15/-	2.7
3.	In respect of duplicate licence In Form 7	200/-	2.9, 2.10, 2.13 and 13.1
4.	In respect of Driver's Badge or duplicate badge	300/-	2.26, 13.1

"

3. Amendment of rule 3.17.- The existing table of rule 3.17 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"TABLE

S.No.	Purpose	Amount (in Rs.)	Rule
1	2	3	4
1.	In respect of appeal under rule 3.8	500/-	3.8
2.	In respect of duplicate conductor's licence	300/-	3.11, 3.12,3.13 and 13.2
3.	In respect of Conductor's badge & duplicate badge	300/-	3.15 and 13.2
4.	In respect of counter signature of conductor's licence	200/-	3.16

"

4. **Amendment of rule 4.28.-** The existing table of rule 4.28 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"TABLE

S.No.	Purpose	Amount (in Rs.)	Rule
1	2	3	4
1.	For temporary registration for each month (a) For Transport Vehicle (b) For Non-transport Vehicle	 500/- 200/-	4.2
2.	For subsequent inspection in case of refusal of grant or renewal of fitness certificate for all types of vehicles	100/-	4.24
3.	For duplicate certificate of fitness	100/-	4.25

"

5. **Amendment of rule 5.87.-** The existing table of rule 5.87 of the said rules shall be substituted by the following namely:-

"TABLE

S.No.	Purpose	Amount (in Rs.)	Rule
1	2	3	4
1.	For application to grant/renewal/countersignature of permit (other than temporary permit) (i) Two seater Auto rickshaw (ii) Educational Institution Bus/ Mini bus/Tempo/Vikram/ Auto tonga (iii) Stage Carriage, Contract Carriage:- (a) For interstatal permit (b) Other than interstatal permit (iv) Motor cab/ Maxi cab/Public Carrier or Private Carrier	 100/- 250/- 1500/- 750/- 300/-	5.5, 5.27 and 5.28
	For grant and renewal of a permit (other than temporary permit)		5.9, 5.27 and 5.28

29

2.	(i) Stage Carriage, Public carrier, Private Carrier, Contract Carriage excluding Mini bus (ii) Educational Institution Bus/ Minibus/Motor cab/Maxi cab (iii) Auto Tonga/Auto Rickshaw/Vikram/Tempo	1500/- 1000/- 300/-	
3.	For grant of Temporary permit or counter-signature for 30 days or part thereof	200/-	5.5
4.	For Countersignature of a Non-temporary permit or its renewal (i) For heavy Transport Vehicles (ii) Medium Transport Vehicles (iii) Light Transport Vehicles	1500/- 1000/- 500/-	5.28
5.	Fee for transfer of permit otherwise than by inheritance or succession (i) Stage Carriage (ii) Public Carrier and Contract Carriages other than Motor cab, Maxi cab, Tempo, Vikram and Auto rickshaw (iii) Contract Carriage (Mini bus, Tempo, Vikram, Motor Cab, Maxi cab) (iv) Auto Rickshaw & Auto Tonga	3000/- 1500/- 1000/- 500/-	5.36
6.	(i) Fee for appeal in STAT against the order of STA (ii) Fee for appeal against the order of RTA (iii) Fee for revision of order of STA/RTA	500/- 500/- 500/-	5.44
7.	Fee for duplicate copy of a permit (I) Part A each copy (a) Stage carriage, Contract Carriage- (i) For mutilated/defaced (ii) In the case of lost/theft (b) Motor Cab/Maxi Cab/Tempo/Vikram/ Mini bus/Auto Tonga/Auto Rickshaw/ Public Carrier or Private Carrier (II) Part B each copy- (a) Stage Carriage, Contract Carriage (i) For mutilated/defaced (ii) In the case of lost/theft (b) Motor Cab/Maxi Cab/ TempoVikram/ Mini Bus/ Auto Rickshaw/Auto Tonga/Public Carrier or private Carrier (III) Temporary permit each copy (IV) Authorization each copy	200/- 1000/- 200/- 200/- 1000/- 200/- 200/- 200/-	5.38

8.	Agents Licence:- (i) Application fee (ii) For grant of Licence For grant of supplementary licence of each additional establishment (iii) For renewal of licence if the application is made in time (a) Principal licence (b) For each supplementary licence (iv) For renewal of licence if the application is made late (a) Principal licence (b) For each supplementary licence (v) For issue of duplicate copy of- (a) Principal licence (b) For each supplementary licence (vi) For appeal against the order of Licensing Authority	5000/- 1000/- 1000/-each 1000/- 1000/- 1500/- 1500/- 1000/- 1000/- 500/-	5.73(3) and 5.77 5.78 5.78 5.84 5.85
9.	Application fee for the cancellation of permit (i) For Two Seater/Auto Rickshaw (ii) For Mini Bus/Tempo/Vikram/Auto-Tonga. (iii) For Stage Carriage/Contract Carriage (a) For interstatal permit (b) For Other than interstatal permit (iv) For Motor Cab/Maxi Cab/Public Carrier/ Private Carrier	 100/- 250/- 1000/- 500/- 300/-	5.35(3)
10.	Application fee for each amendment in already issued time table of a Stage Carriage vehicle, if applied by permit holder.	1000/-	5.39

"

By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Jt. Secretary to the Government

No. F 7(4)/Pari/Rules/H.Q./II/92/8291-8304 Jaipur, Dated: 14:05:2015

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Superintendent, Government Central Press, Jaipur. This notification may kindly be published in the extra-ordinary Gazette dated 14:05:2015.and a copy thereof may be sent to this department.
2. P.S. to Principal Secretary, Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. S.A. to Hon'ble Transport Minister, Rajasthan, Jaipur.
4. P.S. to Hon'ble State Minister, Department of Transport, Rajasthan, Jaipur.
5. P.S. to Principal Secretary Finance, Rajasthan, Jaipur.
6. P.S. to Transport Commissioner and Secretary to the Government of Rajasthan, Jaipur.
7. Accountant General (Commercial & Receipt Audit) Rajasthan, Jaipur.
8. Law (Codification) Department, Jaipur.
9. All Head Quarter Officers of Transport Department, Jaipur.
10. All Additional Transport Commissioner, Zone.
11. Shri Sanjay Singhal, A.C.P. for updating departmental website.
12. All Regional/Addl. Regional District Transport Officers.
13. All Officer In-charge Tax Collection Centers of Transport Department.
14. Guard file.

Jt. Secretary
to the Government